न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 39/2017

अपीलांट्स–

1. पपाराम पुत्र बुधाराम
2. धनाराम पुत्र बुधाराम
3. स्वरूपाराम पुत्र बुधाराम के कायम मुकाम–

3.1. लुणाराम पुत्र स्वरूपाराम
3.2. जगाराम पुत्र स्वरूपाराम
3.3. प्रेम पुत्र स्वरूपाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कस्तुरी देवी
3.4. कस्तुरी देवी पत्नी स्वरूपाराम

4. तगाराम पुत्र बुधाराम
5. चैनाराम पुत्र बुधाराम
6. चम्पा देवी पत्नी बुधाराम

जाति कुम्हार निवासी प्रतापनगर ग्रा.पं. भगवानपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार पचपदरा
2. धूड़ाराम पुत्र गोरखाराम
3. अन्तरों पत्नी गोरखाराम
4. सोनाराम पुत्र जूंझाराम
5. चुतराराम पुत्र जूंझाराम

जाति कुम्हार निवासी प्रतापनगर ग्रा.पं. भगवानपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.10.2012 जो उत्तरदाता सं. 1 द्वारा पक्षकारों के खेत खसरा नम्बर 3078, 3075, 3076 व 3077 मौजा चीलानाडी के विभाजन हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेतनराम सारण, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2से5 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19/11/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Anth
जिला कलक्टर
बाड़मेर

के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 08.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा चीलानाडी के खसरा नम्बर 3078 रकबा 131—02 बीघा, खसरा नम्बर 3075, 3076, 3077 रकबा क्रमशः 00—07, 00—06, 00—09 बीघा के खातेदारान पपाराम, धनाराम, सरूपाराम, तगाराम, चैनाराम पि0 बुधाराम, चम्पादेवी पत्नी बुधाराम, धूड़ाराम वल्द गोरखाराम, अन्तरों बेवा गोरखा, सोना, चुतरा पि0 जूंझा कौम कुम्हार साकिन देह खातेदारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2012 तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी पाटोदी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है एवं कोई विवाद नही हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 3526 दिनांक 08.10.2012 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.09.17 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्तागण एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट सं. 2से5 पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा—काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर तहसीलदार पचपदरा के समक्ष पेश हुए। रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स को धोखे मे रखकर छल व कपट से नक्शा मे अपीलांट के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भौतिक कब्जा के विपरित गलत तरमीम का बंटवाड़ा किया गया हैं। उक्त बंटवाड़ा नक्शा की हल्का पटवारी एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा बिना मौके पर पैमाईश किये ही स्वीकृति जारी कर दी तथा नामान्तरकरण भी पारित कर दिया। अपीलांट का सड़क पर उसके कब्जे–काश्त अनुसार जमीन देना तय किया गया था जिससे बाद हस्ताक्षर/अगुष्ठ निरस्त करते हुए पीछे के रंगों के उपर कांट–छांट कर सफेद रंग वाली भूमि गलत रूप से दे दी गई। इससे यह प्रमाणित है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं नक्शा मे तरमीम करने मे राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स को आलौच्य बंटवाड़ा दिनांक 08.10.2012 के स्वीकृत होने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी एवं अपीलांट अपने पूर्ववर्ती कब्जे अनुसार ही आज दिन तक विवादित आराजी पर काबिज काश्तकार हैं। अर्सा 25 दिन पूर्व जब उत्तरदाता धूड़ाराम व चुतराराम ने मिलकर अपीलांट की ढाणी में आ रहे पुराने रास्ते को रोक कर मूल खसरा सं 3078 के दक्षिण में सेढा कायम करने का प्रयास किया तब दोनो पक्षकारों में विवाद हुआ, तब उत्तरदाता चुतराराम नें बताया कि उन्होने बंटवाड़ा करवा दिया हैं अब आपको डामर सड़क पर कोई भूमि नहीं आती हैं। इस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय पचपदरा जाकर दिनांक 22.06.2017 को विभाजन कार्यवाही की नकलें प्राप्त की तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं नक्शें की नकलें दिनांक 24.06.2017 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि सम्यक तत्परता व सद्भावना से पेश की हैं फिर भी कानूनी प्रावधानों की पूर्ति हेत धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 08.10.2012 निरस्त कर विवादित आराजी का मौके पर पक्षकारान की सहमति एवं कब्जे–काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ने अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन आपसी सहमति से पारित करवाया गया हैं। विभाजन नक्शा पर अपीलांट्स ने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार पचपदरा के समक्ष सम्पूर्ण रजामंदी प्रकट की गई थी, इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन नक्शा तस्दीक कर हल्का पटवारी को रेकर्ड मे अमलदरामद करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स को जितना हिस्सा खातेदारी आता हैं उतना ही मौका कब्जा अनुसार विभाजित किया गया है, इसमे किसी प्रकार की कोई विधिक या प्रक्रियात्मक भूल नहीं की गई हैं। अपीलांट्स पढे–लिखे व्यक्ति हैं जिन्होने नक्शे पर हस्ताक्षर किये है, ऐसे मे यह कहना गलत हैं कि रेस्पोडेंट सं. 2से5 ने पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ सांठ–गांठ कर अपीलाकर्तागण के कब्जा–काश्त की अनदेखी कर बंटवाड़ा नक्शा तैयार किया गया हैं। वास्तविकता यह हैं कि नक्शा सभी सह खातेदारों ने मौके पर किये गये बाहमी बंटवाड़े एवं कब्जे काश्त अनुसार तैयार किया हैं जिसमें सभी पक्षकार की सहमति पर अपीलाधीन स्वीकृति आदेश पारित किया गया हैं, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है, जो खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.10.2012 से ही थी तथा इसके पश्चात दिनांक 03.05.2017 को उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कटाण रास्ते पर ग्रेवल सड़क निकालने का निवेदन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से विभाजित खसरा नम्बरान का उल्लेख किया है तथा यह भी उल्लेख किया हैं कि खातेदारों ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा तहसीलदार के रूबरू किया था जिसे दिनांक 08.10.2012 को स्वीकृत किया गया हैं। उक्त बंटवाड़ा करते समय सभी काश्तकारों ने अपनी सहमति से हमारे खसरान की भूमि में से कटाण रास्ता दिया था, जिसका मौके पर उपयोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि अपीलांट्स को इस बंटवाड़ा की जानकारी दिनांक 10.08.2012 से थी तथा इस आधार पर प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

8. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2012 तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि नक्शे में अंकित तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे वाली भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से में चली गई हैं तथा सड़क पर अपीलांट को भूमि नहीं दी गई है जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए नियमानुसार सड़क तक पहुंच मार्ग दिया गया हैं तथा अपीलांट स्वंय ने इस तथ्य का उल्लेख उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेख किया हैं ऐसे में प्रथम तो अपीलांट्स द्वारा एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं, द्वितीय अपीलांट्स जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार पचपदरा के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं। इसके अलावा जब अपीलांट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष अभ्यावेदन दिनांक 03.05.2017 को प्रस्तुत किया हैं तब भी उल्लेखित किया हैं कि उनके द्वारा बंटवाड़ा दिनांक 08.10.2012 को करवाया हैं ऐसे में इस अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अपीलाधीन विभाजन की जानकारी दिनांक 22.06.2017 को होने का सरासर गलत कथन किया जाना स्पष्ट रूप से साबित हैं। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 16:06:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: